[2019] 7 एस.सी.आर. 1036

अंजुम हुसैन और अन्य।

बनाम

इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एवं ओ.आर.एस.

(सिविल अपील संख्या 1676 2019)

10 मई 2019

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, जे.जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - 12(1)(सी) - अपीलकर्ता नंबर 1 ने प्रतिवादी-बिल्डर द्वारा लॉन्च की गई आवासीय इकाइयों, दुकानों और कार्यालयों से युक्त एक परियोजना में लगभग 440 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान बुक किया - क्रेता समझौता निष्पादित किया गया - प्रतिवादी को चार साल के भीतर कार्यालय इकाई का कब्ज़ा देना था - इसी तरह के समझौते अपीलकर्ता संख्या 2 से 44 और प्रतिवादी के बीच एक ही परियोजना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में दर्ज किए गए थे - प्रतिवादी कब्ज़ा देने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहा चार साल - अपीलकर्ताओं 1 से 44 ने प्रतिवादी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज और मुआवजे के साथ वापस करने की मांग की, साथ ही अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत आवेदन दाखिल किया - राष्ट्रीय आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मामला नहीं हो सकता वर्ग कार्रवाई के रूप में स्वीकार किया गया और उसे खारिज कर दिया गया - अपील पर, माना गया: राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, हालांकि सभी अपीलकर्ताओं की सामान्य शिकायत थी कि प्रतिवादी ने उनके द्वारा बुक की गई संबंधित इकाइयों का कब्जा नहीं दिया था और इस प्रकार प्रतिवादी सेवा प्रदान करने में कमी कर रहा था। , लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि कितने आवंटियों ने केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए दुकानें/वाणिज्यिक इकाइयां बुक की थीं - अध्यक्ष, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टी.एन. गणपति मामले में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान को एक व्याख्या मिलनी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को पूरा करेगी - जो आवश्यक है वह हितों की समानता है - इस प्रकाश में अंबरीश शुक्ला में राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ ने माना कि हितों की एकता समान है एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक सामान्य शिकायत - राष्ट्रीय आयोग ने इस मामले में, उक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से निर्धारित

सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की - तत्काल मामले में दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था - धारा 12 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा पसंदीदा आवेदन 1)(सी) अधिनियम कायम रखने योग्य है - अपीलकर्ताओं का मामला राष्ट्रीय आयोग की फाइल में बहाल किया गया है और कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है - नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 - Or.I, r. 8.

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, हालांकि सभी अपीलकर्ताओं की एक सामान्य शिकायत थी कि प्रतिवादी ने उनके द्वारा बुक की गई संबंधित इकाइयों का कब्जा नहीं दिया था और इस प्रकार प्रतिवादी ने सेवा प्रदान करने में कमी की थी, यह नहीं दिखाया गया था कि कितने आवंटियों को केवल स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए दुकानें/वाणिज्यिक इकाइयां बुक की थीं। चेयरमैन, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टी.एन. गणपति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I, नियम 8 के तहत मुकदमे में जिन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, उनके लिए कार्रवाई का एक ही कारण होना आवश्यक नहीं है और बाकी सब उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्तियों के समान हित या समान शिकायत होनी चाहिए। जो आवश्यक है वह है रुचि की समानता। [पैरा 11,12]

1.2 इसी मुद्दे को अंबरीश कुमार शुक्ला और अन्य के मामले में राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ ने निपटाया था। बनाम फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड.. राष्ट्रीय आयोग ने टी.एन. में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। हाउसिंग बोर्ड. यह टी.एन. में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा गया था। हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि प्रावधान को एक व्याख्या मिलनी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को पूरा करेगी। इसी आलोक में राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ ने माना कि हितों की एकता एक ही व्यक्ति के खिलाफ आम शिकायत के समान है। [पैरा 13,14]

1.3 हालाँकि, इस मामले में राष्ट्रीय आयोग ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों में स्पष्ट रूप से निर्धारित सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस मामले में दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। अपील के तहत आदेश रद्द किया जाता है। अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन को कायम रखने योग्य माना जाता है। 2018 का केस नंबर

2241 राष्ट्रीय आयोग की फाइल में बहाल किया गया है और कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। [पैरा 15,16]

अध्यक्ष, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, मद्रास बनाम टी.एन. गणपति **(1990) 1 एससीसी 608: [1990] 1 एससीआर 272- पर भरोसा**

अंबरीश कुमार शुक्ला एवं अन्य। बनाम लौह इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड **राष्ट्रीय उपभोक्ता का निर्णय वाद क्रमांक 97 में विवाद निवारण आयोग 07.10.2016 को 2016 - संदर्भित**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1990] 1 एससीआर 272	**पर भरोसा**	**पैरा 12**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 1676

2018 के उपभोक्ता मामले संख्या 2241 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.2018 से

यश श्रीवास्तव, सुश्री सताक्षी सूद, रोहित कुमार सिंह, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए.

आशुतोष दुबे, संतोष सी., सुश्री राजश्री दुबे, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

उदय उमेश ललित जी

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 23 के तहत यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ('राष्ट्रीय आयोग') द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.2018 के खिलाफ निर्देशित है। , संक्षेप में) 2018 के उपभोक्ता मामले संख्या 2241 में अपीलकर्ताओं द्वारा पसंदीदा।

2. अपीलकर्ता नंबर 1 ने प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई आवासीय इकाइयों, दुकानों और कार्यालयों से युक्त एक परियोजना में लगभग 440 वर्ग फुट का एक कार्यालय स्थान बुक किया था। बिल्डर-क्रेता समझौता अपीलकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी के बीच 02.12.2013 को निष्पादित किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी को चार साल के भीतर कार्यालय इकाई का कब्जा देना था। इसी तरह के समझौते अपीलकर्ता संख्या 2 से 44 और प्रतिवादी के बीच एक ही परियोजना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में दर्ज किए गए थे।

3. चूंकि प्रतिवादी चार वर्षों में कब्जा देने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा था और चूंकि परियोजना अभी भी उत्खनन के चरण में थी, अपीलकर्ताओं 1 से 44 द्वारा 2018 का केस नंबर 2241 दायर किया गया था, जिसमें भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की गई थी। उन्हें प्रतिवादी को ब्याज और मुआवज़े सहित। अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था।

4. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष मामले की पहली सूची 10.10.2018 को थी जब अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को राष्ट्रीय आयोग द्वारा निम्नानुसार निपटाया गया था:

1. यह शिकायत खरीदारों के पूरे वर्ग के लाभ के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में आवासीय इकाइयों, दुकानों और कार्यालयों से युक्त "इंटेलिसिटी" नामक एक परियोजना में दुकानें/कार्यालय बुक किए हैं। इस शिकायत का दायरा केवल शिकायतकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। IA/18734/2018 होने वाली वाणिज्यिक इकाइयों के ऐसे सभी खरीदारों की ओर से इस शिकायत को स्थापित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के संदर्भ में अनुमति मांगने वाला एक आवेदन भी दायर किया गया है। शिकायत। यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता हैं क्योंकि उन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से छोटी दुकानें/कार्यालय बुक किए थे।

2. जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में प्रदान किया गया है, 'उपभोक्ता' शब्द अपने दायरे से एक ऐसे व्यक्ति को बाहर रखता है, जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सेवाओं को किराए पर लेता है या उनका लाभ उठाता है, जब तक कि वह

अपना मामला चार के भीतर नहीं ला सकता है- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के नीचे स्पष्टीकरण के कोने। स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से सेवाओं को किराए पर लेने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 'उपभोक्ता' की परिभाषा में शामिल किया गया है। अन्यथा, एक दुकान/वाणिज्यिक इकाई को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बुक किया गया माना जाएगा।

3. चूंकि शिकायत का दायरा केवल शिकायतकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है और इसमें दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों के सभी आवंटियों को शामिल किया गया है, जैसा कि शिकायत में विशेष रूप से कहा गया है और अनुपालन में की गई प्रार्थनाओं से भी स्पष्ट है, जिसमें दिशा-निर्देश मांगा गया है। विपक्षी को प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ-साथ अन्य आवंटियों द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज और मुआवजे के साथ वापस करना होगा, यह केवल एक वर्गीय कार्रवाई के रूप में कायम रखने योग्य होगा यदि यह आरोप लगाया गया है और दिखाया गया है कि उपर्युक्त में दुकानों / वाणिज्यिक इकाइयों के सभी आवंटियों परियोजना ने इसे केवल स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से बुक किया था, जिसका अर्थ है कि सभी आवंटी इन दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों में स्वयं काम करने का इरादा रखते हैं और उनके द्वारा उक्त इकाइयों पर कब्ज़ा करना होगा। उनकी आजीविका कमाने का उद्देश्य. शिकायत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि उपरोक्त संदर्भित परियोजना में वाणिज्यिक इकाइयों/दुकानों के सभी आवंटियों ने उक्त दुकानों/इकाइयों को केवल स्वयं के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से बुक किया था। रोज़गार। शिकायत में इस तरह के दावे के अभाव में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं दिया जा सकता है कि न केवल शिकायतकर्ताओं बल्कि दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों के सभी आवंटियों ने इसे पूरी तरह से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से बुक किया था। स्व रोजगार। अन्यथा भी, शिकायतकर्ताओं को यह नहीं पता चल सका कि शिकायतकर्ताओं के अलावा अन्य आवंटियों ने किस उद्देश्य से उक्त परियोजना में दुकानें, वाणिज्यिक इकाइयां बुक की थीं। उक्त प्रयोजन केवल संबंधित आवंटियों की जानकारी में ही हो सकता है। इसलिए, न केवल शिकायतकर्ताओं बल्कि उपरोक्त परियोजना में दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों के

सभी आवंटियों की ओर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत यह वर्गीय कार्रवाई कायम रखने योग्य नहीं है।"

5. इस प्रकार राष्ट्रीय आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मामले को वर्ग कार्रवाई के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि, यह देखा गया कि बर्खास्तगी शिकायतकर्ताओं के लिए खुले अन्य उपायों का लाभ उठाने के रास्ते में नहीं आएगी।

6. इस अपील में मामले को वर्ग कार्रवाई के रूप में खारिज करने पर सवाल उठाया गया है।

7. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री यश श्रीवास्तव और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष दुबे को सुना।

8. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को शुरुआत में ही विज्ञापित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 2(1)बी और 2(1)(डी) "शिकायतकर्ता" और "उपभोक्ता" को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

(बी) **"शिकायतकर्ता"** का अर्थ है -

(i) एक उपभोक्ता; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(iii) केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(iv) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित रखने वाले अनेक उपभोक्ता हों;

(v) उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि; कौन या कौन शिकायत करता है;

(डी) "उपभोक्ता" का अर्थ कोई भी व्यक्ति है जो

(i) किसी भी सामान को ऐसे प्रतिफल के लिए खरीदता है जिसका भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के तहत और ऐसे सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है, उस व्यक्ति के अलावा जो भुगतान या वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसा सामान खरीदता है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया या

आंशिक रूप से वादा किया गया, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी के साथ किया जाता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा सामान प्राप्त करता है; या

(ii) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल होता है जो [किराए पर लेता है या इसका लाभ उठाता है प्रतिफल के लिए भुगतान की गई या वादा की गई सेवाएँ, या आंशिक रूप से भुगतान की गई और आंशिक रूप से वादा किया गया, या आस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लेखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है; लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है; स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए "व्यावसायिक प्रयोजन" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के प्रयोजनों के लिए ली गई सेवाएं, और स्व-रोज़गार के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं शामिल नहीं हैं।

9. अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है:

> 12. जिस तरीके से शिकायत की जाएगी - (1) बेचे या वितरित किए गए या बेचने या वितरित किए जाने के लिए सहमत किसी भी सामान या प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत की जा सकती है।
>
> जिला फोरम में दायर किया जाए,
>
> (ए) वह उपभोक्ता जिसे ऐसी वस्तुएं बेची या वितरित की जाती हैं या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत होती हैं या ऐसी सेवा प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमत होती है;

(बी) कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, चाहे वह उपभोक्ता जिसे सामान बेचा या वितरित किया गया हो या सेवा प्रदान की गई हो या प्रदान करने के लिए सहमत हो, ऐसे संघ का सदस्य है या नहीं;

(सी) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, जिला फोरम की अनुमति से, सभी इच्छुक उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए; या

(डी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में।

10. अधिनियम की धारा 13(6) इस प्रकार है:

13. शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया - (1) से (5).....

(6) जहां शिकायतकर्ता धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, सिविल प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के प्रावधान , 1908 (1908 का 5) इस संशोधन के अधीन लागू होगा कि वादी और प्रतिवादी के प्रत्येक संदर्भ को शिकायत या विपरीत पक्ष के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

11. राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, यद्यपि सभी अपीलकर्ताओं की एक सामान्य शिकायत थी कि प्रतिवादी ने उनके द्वारा बुक की गई संबंधित इकाइयों का कब्जा नहीं दिया था और इस प्रकार प्रतिवादी ने सेवा प्रदान करने में कमी की थी, यह नहीं दिखाया गया था कि कितने आवंटियों ने सेवा प्रदान की थी केवल स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए दुकानें/वाणिज्यिक इकाइयाँ बुक कीं।

12. **चेयरमैन, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड**, **मद्रास बनाम टी.एन. गणपति1** में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि जिन व्यक्तियों का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत मुकदमे में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, उनके लिए कार्रवाई का एक ही कारण होना आवश्यक नहीं है और सभी उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक यह है कि संबंधित व्यक्तियों के समान हित या समान शिकायत होनी चाहिए। जो आवश्यक है वह है रुचि की समानता। निर्णय के पैराग्राफ 7 और 9 इस प्रकार थे:-

7. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I, नियम 8 के तहत प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमे की रखरखाव के सवाल पर, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि शिकायत की गई चोट पैसे की मांग के संबंध में है और वह भी एक अलग व्यक्ति द्वारा प्रत्येक आवंटी के खिलाफ मांग, कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जन्म देती है, नियम 1 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। विद्वान वकील ने कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि मुकदमा दायर करने से पहले अशोक नगर में प्रत्येक आवंटी को अतिरिक्त मांग भी दी गई थी या नहीं; और आगे इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों की सेवा की गई थी, वे केवल उनमें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से संदर्भित मांग को पूरा करने में रुचि रखते हैं। उनमें से प्रत्येक को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दूसरों के साथ क्या होता है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि केवल ऐसे आवंटी जिन्हें पहले ही अतिरिक्त मांगें दी जा चुकी हैं, वे अदालत में कार्रवाई करने के हकदार हैं, और उन्हें अलग-अलग मुकदमे दायर करके भी ऐसा करना चाहिए। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता. नियम 8 के आदेश I के प्रावधानों को सार्वजनिक हित में संहिता में शामिल किया गया है ताकि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचा जा सके। प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जिन व्यक्तियों की ओर से मुकदमा लाया जा रहा है उनका हित समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, या तो हित समान होने चाहिए या उनकी एक समान शिकायत होनी चाहिए जिसका वे निवारण करना चाहते हैं। कोडिया गौंडर बनाम वेलंडी गौंडर (आईएलआर 1955 मैड 339: एआईआर 1955 मैड 281) में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि आदेश I नियम 8 की सरल भाषा में, उस नियम के भीतर एक मुकदमा लाने की मुख्य आवश्यकता है। उन असंख्य व्यक्तियों के हितों की समानता जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए मुकदमा संस्थित किया गया है। नियम के तहत छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या नियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया को अपनाने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त रुचि है। जिस उद्देश्य के लिए यह प्रावधान अधिनियमित किया गया है वह वास्तव में उन प्रश्नों के निर्णय को सुविधाजनक बनाना है, जिनमें सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना बड़ी संख्या

में लोग रुचि रखते हैं। इसलिए, प्रावधान को एक व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को पूरा करेगी। नियम में इसके दायरे को किसी विशेष श्रेणी के मुकदमों तक सीमित करने या पैसे के दावे या निषेधाज्ञा के संबंध में किसी मुकदमे को मौजूदा मुकदमे से बाहर करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।

9. यह सच है कि प्रत्येक आवंटी व्यक्तिगत रूप से उस पर की गई या की जाने वाली मांग से लड़ने में रुचि रखता है और इस प्रकार, मामले में कार्रवाई के अलग-अलग कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन, इससे आदेश । नियम 8 नहीं बनता है। अनुपयुक्त. पहले ऐसे मामले को कवर करने वाले नियम के बारे में कुछ संदेह था जो अब नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट हो गया है, जो इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण - यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या मुकदमा करने वाले या मुकदमा दायर करने वाले, या बचाव करने वाले व्यक्तियों का एक मुकदमे में समान हित है, यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों के पास कार्रवाई का वही कारण है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से , या जिनके लाभ के लिए, वे मुकदमा करते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जाता है, या मुकदमे का बचाव करते हैं, जैसा भी मामला हो।

संशोधन के उद्देश्य और कारण नीचे बताए गए थे:

“उद्देश्य और कारण: खंड 55; उप-खंड (iv), - आदेश । का नियम 8 प्रतिनिधि मुकदमों से संबंधित है। इस नियम के तहत, जहां एक मुकदमे में समान हित रखने वाले कई व्यक्ति हैं, उनमें से एक या अधिक, अदालत की अनुमति से, उन सभी की ओर से मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा दायर कर सकते हैं। नियम ने यह संदेह पैदा कर दिया है कि क्या दूसरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष के पास कार्रवाई का वही कारण होना चाहिए जो उसके द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिए है। नियम को एक नए नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा

है और यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कार्रवाई का एक ही कारण होना आवश्यक नहीं है।

इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन व्यक्तियों का आदेश I, नियम 8 के तहत मुकदमे में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, उनके पास कार्रवाई का एक ही कारण होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को अशोक नगर के सभी आवंटियों की ओर से मुकदमा करने की अनुमति देकर सही किया था। इसलिए, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती जिसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। हालाँकि, समापन से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि वादी ने केवल अशोक नगर में निम्न आय वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, जो इस निर्णय द्वारा शासित होंगे, और इस मामले में जो कुछ भी कहा गया है या निर्णय लिया गया है वह किसी अन्य पर लागू नहीं है। समूह या कॉलोनी।"

13. इसी मुद्दे को ***अंबरीश कुमार शुक्ला और अन्य के*** **मामले में राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ ने निपटाया था।** ***बनाम फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. Ltd.*****2. राष्ट्रीय आयोग ने टी.एन. में इस न्यायालय के निर्णय पर *भरोसा किया। हाउसिंग बोर्ड1 .*** राष्ट्रीय आयोग के निर्णय का प्रासंगिक भाग था:-

"10. चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(6) के आधार पर, सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायतों पर लागू होते हैं, जहां समान हित रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, निर्णय संदर्भ का उत्तर देते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (सुप्रा) को स्पष्ट रूप से लागू करेगा। ऐसी शिकायत को वैधानिक मान्यता देने का उद्देश्य मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना है, प्रयास एक ऐसी व्याख्या देने का होना चाहिए जो उपभोक्ता मंचों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती आमद को कम करके उक्त उद्देश्य को पूरा कर सके। उपभोक्ता शिकायतों की संख्या में कमी न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि सेवा प्रदाता के लिए भी लागत प्रभावी होगी।

11..... जैसा कि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है, जिन व्यक्तियों की ओर से दावा लाया गया है उनका हित

सामान्य होना चाहिए या उनके पास एक सामान्य शिकायत होनी चाहिए जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं संबोधित. खरीदे गए सामान, या उनके द्वारा किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं में दोष या कमी उन सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होनी चाहिए जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की गई है। इसलिए, हितों की एकता एक ही व्यक्ति के खिलाफ आम शिकायत के समान है। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोजेक्ट में कई फ्लैट या प्लॉट किसी बिल्डर/डेवलपर द्वारा कई व्यक्तियों को बेचे जाते हैं, तो वह अपने द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर उक्त फ्लैट/प्लॉट पर कब्जा देने में विफल रहता है, और शिकायत की जाती है। ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा दायर की गई शिकायत में या तो उक्त परियोजना में उनके और अन्य खरीददारों द्वारा खरीदे गए फ्लैटों/भूखंडों का कब्जा दिलाने की मांग की गई है, या उनके और अन्य खरीददारों द्वारा डेवलपर/बिल्डर को भुगतान किए गए पैसे की वापसी की मांग की गई है, शिकायत ऐसे व्यक्तियों की आम बात है, यानी बिल्डर/डेवलपर द्वारा उन्हें बेचे गए फ्लैटों/भूखंडों का समय पर कब्ज़ा देने में विफलता, शिकायत के विषय में उनकी समान रुचि होगी और प्रक्रिया को अपनाने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त समुदाय की रुचि होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 में निर्धारित है, बशर्ते कि शिकायत एक ही डेवलपर/बिल्डर के खिलाफ समान शिकायत वाले सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए दायर की जाती है, और ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए समान राहत मांगी जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिकायत जैसी वर्ग कार्रवाई की अनुमति देने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता विवाद के निर्णय की सुविधा प्रदान करना है जिसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ता रुचि रखते हैं, प्रत्येक का सहारा लिए बिना यदि वे व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करते हैं, तो यह आवश्यक है कि ऐसी शिकायत ऐसे समुदाय के हित वाले सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए दर्ज की जाए। इसलिए उनमें से केवल कुछ की ओर से शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट खरीदारों/प्लॉट खरीदारों की बिल्डर/डेवलपर के खिलाफ एक आम शिकायत है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिकायत उनकी ओर

से या उनके लाभ के लिए दायर की गई है। उनमें से 10, वर्ग कार्रवाई की अनुमति देने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य हासिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शेष 90 पीड़ित व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत शिकायतें दर्ज करने या खरीदारों के विभिन्न समूह की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वही प्रोजेक्ट. हमारे विचार में, यह विधायी मंशा नहीं हो सकती थी। धारा 12(1)(सी) में प्रयुक्त शब्द 'इतनी रुचि रखने वाले व्यक्ति' और 'समान रुचि रखने वाले व्यक्ति' का अर्थ है, एक ही सेवा प्रदाता के खिलाफ समान शिकायत रखने वाले व्यक्ति। धारा 12(1)(सी) में 'इसमें रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ता' और "इतनी रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए" शब्दों का उपयोग कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि ऐसी शिकायत आवश्यक रूप से की ओर से दर्ज की जानी चाहिए। या उन सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए जिनकी एक जैसी शिकायत है, एक समान राहत की मांग कर रहे हैं और परिणामस्वरूप एक ही सेवा प्रदाता के खिलाफ एक समुदाय का हित है।"

14. ***टी.एन. हाउसिंग बोर्ड1*** में इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया। कि प्रावधान को एक व्याख्या मिलनी चाहिए जो इसके अधिनियमन के उद्देश्य को पूरा करेगी। इसी आलोक में राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ ने माना कि हितों की एकता एक ही व्यक्ति के खिलाफ आम शिकायत के समान है।

15. हालाँकि, इस मामले में, राष्ट्रीय आयोग ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों में स्पष्ट रूप से निर्धारित सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। हमारे विचार में, तत्काल मामले में दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था।

16. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, अपील के तहत आदेश को रद्द करते हैं। अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन को कायम रखने योग्य माना जाता है। 2018 का केस नंबर 2241 राष्ट्रीय आयोग की फाइल में बहाल किया गया है और कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

17. उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं.

दिव्या पांडे की अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।